

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

नियंत्रण वर्ष 2026-27 से वर्ष 2029-30 हेतु बहुवर्षीय सकल राजस्व आवश्यकता एवं वर्ष 2026-27 हेतु दायर टैरिफ याचिका पर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 व 64 एवं उनके अन्तर्गत अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छराबिनिआ) (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांती के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निवेदन एवं शर्तों) विनियम, 2021 तथा छराबिनिआ (बहुवर्षीय टैरिफ के निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) द्वारा नियंत्रण वर्ष 2026-27 से वर्ष 2029-30 हेतु बहुवर्षीय सकल राजस्व आवश्यकता एवं वर्ष 2026-27 हेतु माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष टैरिफ याचिका दायर की गई है। इस याचिका को याचिका क्रमांक 103/2025 के रूप में पंजीकृत किया गया है। इस याचिका में CSPDCL ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए फाईनल टू-अप, वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2029-30 के नियंत्रण अवधि के लिये बहुवर्षीय वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 के खुदरा टैरिफ के निर्धारण का प्रस्ताव सम्मिलित है, जिसका सारांश नीचे तालिकाओं में दर्शाया गया है:-

अ. वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम टू-अप का सार:

स.क्र.	विवरण	राशि (रु. करोड़ में)
01.	टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024 में अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता	20,799.11
02.	आईडिटेड अकाउंट्स के आधार पर वार्षिक राजस्व आवश्यकता	26,698.64
03.	आईडिटेड अकाउंट के अनुसार विद्युत विक्रय से राजस्व	24,999.74
04.	स्टेण्डएलोन राजस्व अंतराल/(आधिशेष) (3-2)	1,698.90
05.	वित्तीय वर्ष 2022-23 में CSPDCL के अंतिम टू-अप के प्रभाव के कारण राजस्व अंतराल/(आधिशेष) केरिंग कॉस्ट सहित	3,823.11
06.	संचयी राजस्व अंतराल/(आधिशेष) (4+5)	5,522.01
07.	राज्य शासन से वित्तीय सहायता	1,000
08.	वर्ष 2024-25 हेतु कुल संचयी राजस्व अंतराल/(आधिशेष) (6-7)	4,522.01
09.	केरिंग/(होलिडिंग) कॉस्ट	251.47
10.	कुल Closing राजस्व अंतराल/(आधिशेष) (8+9)	4,773.48

ब. वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2029-30 के नियंत्रण अवधि हेतु सकल राजस्व आवश्यकता (रु. करोड़ में)

स.क्र.	विवरण	वर्ष 2026-27	वर्ष 2027-28	वर्ष 2028-29	वर्ष 2029-30
01	विद्युत क्रय व्यय	21,150.81	22,437.96	24,964.63	27,179.48
02	संचारण एवं संधारण व्यय	3,250.34	3,614.89	3,940.21	4,230.99
03	व्याज एवं वित्तीय व्यय	429.50	518.27	587.62	632.33
04	अन्य व्यय	1,116.15	1,259.58	1,381.35	1,488.65
05	गैर-टैरिफ आय	486.49	524.69	565.89	610.33
06	सकल राजस्व आवश्यकता	25,460.30	27,306.02	30,307.93	32,921.13

स. वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता (स्टेण्डएलोन) एवं सकल कमी का सार:

स.क्र.	विवरण	राशि (रु. करोड़ में)
01.	वर्ष 2026-27 के लिये वार्षिक राजस्व आवश्यकता का अनुमान	25,460.30
02.	प्रचलित दृष्टी एवं प्रभारों के आधार पर अनुमानित राजस्व	26,216.22
03.	वर्ष 2026-27 के लिये स्टेण्ड एलोन राजस्व अंतराल/(आधिशेष) (2-1)	(755.92)
04.	वर्ष 2024-25 का Forward की गई केरिंग कॉस्ट सहित कुल Closing राजस्व अंतराल/(आधिशेष)	4,773.48
05.	वर्ष 2025-26 के लिए केरिंग कॉस्ट	530.91
06.	वर्ष 2026-27 के लिए केरिंग कॉस्ट	294.98
07.	वर्ष 2026-27 के लिये कुल Closing राजस्व अंतराल/(आधिशेष) (4+5+6)	5,599.37
08.	टैरिफ आदेश वर्ष 2025-26 में असम्मिलित केरिंग कॉस्ट	1,158.35
09.	अपील क्र. 286/2017 में माननीय APTEL के आदेश के अनुसार दावा	161.03
10.	माननीय APTEL द्वारा नेशनल इन्कम के मामले में रिमांडेड बैंक एवं CSPDCL के पक्ष में सशर्त फैसले से संबंधित राशि	145.41
11.	वर्ष 2026-27 हेतु समायोजित सकल राजस्व आवश्यकता (1+7+8+9+10)	32,524.46
12.	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विद्युत विक्रय (MUs)	38,728.79
13.	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए समायोजित औसत विद्युत प्रदाय दर (Rs./kWh)	8.40
14.	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सकल राजस्व अंतर	6,308.24

द. वर्ष 2026-27 हेतु टैरिफ प्रस्ताव

CSPDCL द्वारा प्रस्तावित राजस्व अंतर की भरपाई हेतु सभी उपभोक्ता श्रेणियों के टैरिफ में एक समान वृद्धि प्रस्तावित किया गया है।

ई. वर्ष 2026-27 हेतु CSPDCL के अन्य प्रस्ताव:

(i) CSPDCL द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के टैरिफ आदेश में अनुमोदित किए गए लोड फैक्टर रिबेट अनुसार, एचव्ही-4: स्टील उद्योग श्रेणी के उपभोक्ताओं को दिए जा रहे 25% लोड फैक्टर रिबेट को घटाकर 10% करने का अनुरोध किया है।

(ii) CSPDCL ने एचव्ही-4: स्टील उद्योग श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे (ToD) टैरिफ को सौर घंटों (09:00 बजे से 17:00 बजे तक) के दौरान वर्तमान सामान्य अवधि के टैरिफ को 80% से घटाकर 70% करने और साथ ही उच्चतम मांग अवधि (17:00 बजे से 23:00 बजे तक) के दौरान टैरिफ को 120% से बढ़ाकर 125% करने का अनुरोध किया है।

(iii) CSPDCL ने लोड फैक्टर रिबेट की गणना के लिए 132 केवी और 220 केवी सिस्टम से जुड़े एचव्ही-4: स्टील उद्योग श्रेणी के उपभोक्ताओं को दी जा रही 30 घंटे की 'पावर ऑफ आवर्स' को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया है।

(iv) CSPDCL ने ट्रांसमिशन प्रभार के भुगतान के पुराने प्रावधान के अनुसार, दीर्घ/मध्यम अवधि के औपनै एक्सेस सोलर प्रोस्यूरस के लिए निर्धारित 33% ट्रांसमिशन प्रभार को 100% करने का अनुरोध किया है।

(v) CSPDCL ने पूर्व टैरिफ आदेश अनुसार, एचव्ही-2: खदान टैरिफ श्रेणी में खदान सह स्टीन क्रशर एवं सिर्फ स्टीन क्रशर, दोनों को सम्मिलित करने का अनुरोध किया है।

(vi) CSPDCL ने पूर्व के टैरिफ आदेश अनुसार, वस्तर और दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में स्टील उद्योगों के लिए ऊर्जा प्रभार में 5% रिबेट देने का भी अनुरोध किया है।

(vii) CSPDCL ने एचव्ही-4 श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए भी कम लोड फैक्टर टैरिफ का लाभ उठाने हेतु CSPDCL से 100% आपूर्ति अनिवार्य करने का अनुरोध किया है, जैसा कि एचव्ही-3 श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए लागू है।

(viii) CSPDCL ने स्टार्टअप पावर टैरिफ श्रेणी के लिए सह-स्थित औद्योगिक इकाइयों वाले उत्पादन संयंत्रों की संविदा मांग के लिए स्पष्ट प्रावधान करने का अनुरोध किया है।

(ix) CSPDCL ने अग्रिम भुगतान पर छूट को पिछले टैरिफ आदेश में दी गई 1.25% प्रति माह से घटाकर 0.5% प्रति माह करने का अनुरोध किया है।

(x) CSPDCL ने एचव्ही-3 और एचव्ही-4 श्रेणी में लोड फैक्टर के आधार पर स्थायी प्रभार के प्रावधान पर पुनर्विचार करने और श्रेणी विशेष के सभी उपभोक्ताओं के लिए खपत के निरपेक्ष, समान स्थायी प्रभार निर्धारित करने का अनुरोध किया है।

फ. माननीय विद्युत अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.07.2025 को अपील संख्या 303/2019 में पारित आदेश के माध्यम से आयोग को वोल्टेज-वार आपूर्ति लागत के आधार पर खुदरा दर निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। अतः आयोग वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए खुदरा शुल्क का निर्धारण वोल्टेज-वार आपूर्ति लागत के आधार पर करेगा। अतः आयोग को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वोल्टेज के अनुसार आपूर्ति लागत के आधार पर टैरिफ निर्धारित करना बाध्यकारी है।

यह आम सूचना, याचिका एवं अनुगामी प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की प्रति (1) आयोग की वेबसाइट www.csere.gov.in एवं (2) CSPDCL की वेबसाइट www.cspdcl.co.in पर उपलब्ध है।

वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका एवं सार संक्षेपिका (हिन्दी) की प्रतियां (1) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय एवं (2) याचिकाकर्ता, कार्यपालक निदेशक (निकाएवंऊप्र) कार्यालय, डंगनिया, रायपुर सहित (3) रायपुर शहर, रायपुर ग्रामीण, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, अम्बिकापुर एवं रायगढ़ के क्षेत्रीय में उपलब्ध है। याचिका अथवा सार संक्षेपिका को उक्त कार्यालयों से क्रमशः रु.100/- तथा रु.50/- के भुगतान पश्चात, किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। याचिका/सारांश की प्रति डाक द्वारा रु.50/- का अतिरिक्त भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।

उपरोक्त याचिका पर इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपने आपत्तियां/सुझाव, निम्नलिखित पते पर इस आम सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिनों की समयसीमा के भीतर व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंघाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर, पिन-492001 (E-mail: csere.sec.cg@nic.in) एवं/वा कार्यपालक निदेशक (निकाएवंऊप्र), छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि., 4^थ मंजिल, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर, पिन-492013 (E-mail: cecomsecb@rediffmail.com) के पते पर प्रेषित कर सकते हैं। माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा उपरोक्त याचिका पर जनसुनवाई हेतु स्थान, दिनांक एवं समय पृथक से समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा।

कार्यपालक निदेशक (निकाएवंऊप्र)
छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि., रायपुर

Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited (A Govt. of Chhattisgarh Undertaking)					
NOTICE FOR INVITING OBJECTIONS AND SUGGESTIONS ON TARIFF PETITION FILED FOR DETERMINATION OF ARR FOR CONTROL PERIOD FY 2026-27 TO FY 2029-30 AND RETAIL TARIFF FOR FY 2026-27					
In compliance to the provisions contained in section 62 & 64 of Electricity Act, 2003 read together with Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC) (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2021, and CSERC (Terms and Conditions for determination of Multi-Year Tariff) Regulations, 2025, Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited (CSPDCL) has filed a petition for final true-up for FY 2024-25, determination of MYT Aggregate Revenue Requirement (ARR) for control period FY 2026-27 to FY 2029-30 and retail tariff for FY 2026-27, before the Hon'ble CSERC. This petition has been registered as Petition No. 103/2025. The summary of the petition is given below: -					
A. Summary of final true-up of FY 2024-25:					
S. No.	Particulars	Amount (Rs. Cr.)			
01.	ARR approved in Tariff Order dated 01.06.2024	20,799.11			
02.	ARR based on audited accounts	26,698.64			
03.	Revenue from sale of power as per audited accounts	24,999.74			
04.	Standalone Revenue Gap/(Surplus) (3-2)	1,698.90			
05.	Gap/(Surplus) carried forward from final true-up of FY 2022-23 for CSPDCL, along with carrying cost	3,823.11			
06.	Cumulative Revenue Gap/(Surplus) (4+5)	5,522.01			
07.	Financial support from State Government	1,000			
08.	Net Cumulative Revenue Gap/(Surplus) of FY 2023-24 (6-7)	4,522.01			
09.	Carrying/ (Holding) Cost	251.47			
10.	Total Closing Revenue Gap/(Surplus)(8+9)	4,773.48			
B. ARR Summary for control period FY 2026-27 to FY 2029-30:					
(Rs. Cr.)					
Sr. No.	Parameters	FY 2026-27	FY 2027-28	FY 2028-29	FY 2029-30
01.	Power Purchase Expenses	21,150.81	22,437.96	24,964.63	27,179.48
02.	Operation & Maintenance Expenses	3,250.34	3,614.89	3,940.21	4,230.99
03.	Interest & Finance Expenses	429.50	518.27	587.62	632.33
04.	Other Expenses	1,116.15	1,259.58	1,381.35	1,488.65
05.	Less: Non-Tariff Income	486.49	524.69	565.89	610.33
06.	Aggregate Revenue Requirement	25,460.30	27,306.02	30,307.93	32,921.13
C. Summary of ARR for FY 2026-27					
S. No.	Particulars	Amount (Rs. Cr.)			
01.	ARR projection for FY 2026-27	25,460.30			
02.	Projected Revenue on the basis of existing tariff	26,216.22			
03.	Standalone Revenue Gap/ (Surplus) for FY 2026-27 (2-1)	(755.92)			
04.	Total Closing Gap/ (Surplus) of FY 2024-25 carried forward with carrying cost	4,773.48			
05.	Carrying Cost for FY 2025-26	530.91			
06.	Carrying Cost for FY 2026-27	294.98			
07.	Total Closing Revenue Gap/ (Surplus) for FY 2026-27 (4+5+6)	5,599.37			
08.	Carrying Cost not allowed in Tariff Order of FY 2025-26	1,158.35			
09.	Claim on account of Hon'ble APTEL Judgement in Appeal No. 286/2017	161.03			
10.	Issue of Notional Income remanded back by Hon'ble APTEL and conditionally decided in favour of CSPDCL	145.41			
11.	Adjusted ARR for recovery in FY 2026-27 (1+7+8+9+10)	32,524.46			
12.	Sales for FY 2026-27 (Mus)	38,728.79			
13.	Adjusted ACoS for FY 2026-27 (Rs./kWh)	8.40			
14.	Cumulative Revenue Gap for FY 2026-27	6308.24			
D. Tariff Proposal of CSPDCL					
CSPDCL has requested for uniform hike across all consumers categories required to meet the proposed gap.					
E. Other proposals for FY 2026-27:					
CSPDCL requested:					
(i) To reduce the Load Factor Rebate of 25%, being provided to HV-4: Steel Industry category consumers to 10%, as approved in the Tariff Order for FY 2024-25.					
(ii) To reduce the Time of Day (ToD) Tariff for HV4: Steel Industry category consumers, during Solar Hours (09:00 hrs. to 17:00 hrs.) from presently 80% of the normal period of ToD to 70% and simultaneously increase the tariff during peak hours (17:00 hrs. to 23:00 hrs.) from 120% to 125%.					
(iii) To remove the 30 hrs. 'power off' being provided to HV4: Steel Industry category consumers, connected to 132 kV and 220 kV system, for computation of Load Factor Rebate.					
(iv) To revert back to the old provision of payment of 100% Transmission Charges for Long/Medium Term Open Access Solar Prosumers, instead of 33% of Transmission Charges.					
(v) To revert back to the old provision of including both Mines with Stone Crusher and Standalone Stone Crushers in HV-2: Mines tariff category.					
(vi) To revert back to the old provision of providing 5% rebate in Energy Charge for Steel Industries in Bastar and Dakshin Kshetra Adivasi Vikas Pradhikaran Areas.					
(vii) To make similar provision for HV-4 category consumers regarding compulsion of 100% supply from CSPDCL, in order to avail benefit of low load factor tariff, as prevailing for HV-3 category.					
(viii) To make clear provision for contract demand for generating plants with co-located industrial units in this tariff category of start-up power.					
(ix) To reduce rebate on advance payment from 1.25% per month to 0.5% per month, as allowed in previous Tariff Orders.					
(x) To reconsider the provision of fixed charges on load factor basis in tariff category HV-3 & HV-4 & determine a same fixed charge for consumers irrespective of consumption.					
F. Hon'ble Appellate Tribunal for Electricity vide order dated 01/07/2025 passed in appeal No. 303 of 2019, has directed the Commission to determine retail tariff on the basis of voltage wise cost of supply. Therefore, the Commission is mandated to determine tariff for FY 2026-27 on the basis of voltage wise cost of supply.					
The notice and petition along with subsequent submissions by CSPDCL will be available on websites: www.cserc.gov.in and www.cspdcl.co.in. Hardcopy of the tariff petition in English and its summary in Hindi, shall be made available at the offices of (i) Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, (ii) Executive Director (RA&PM) CSPDCL, Dangania Raipur and (iii) CSPDCL's Regional Offices at Raipur City, Raipur Rural, Bilaspur, Durg, Jagdalpur, Rajnandgaon, Ambikapur & Raigarh Regions during office hours till 21 days from the date of publication of this notice.					
Interested persons can purchase tariff petition on any working day after making payment of Rs. 100/- for petition and Rs. 50/- for its summary in Hindi. Copy of the petition and its summary in Hindi can also be obtained by post on additional payment of Rs. 50/- towards postage fee.					
Persons / institutions interested to file objections/ suggestions related to this petition may send the same within 21 days from the publication of this notice to Secretary, CSERC, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur Pin - 492001, email-cserc.sec.cg@nic.in and/or Executive Director (RA & PM), CSPDCL, 4th Floor, Vidhyut Sewa Bhavan, Danganiya, Raipur, Pin - 492013, email-ccomcseb@rediffmail.com. The Commission shall also conduct public hearing on the above petition for which place, date and time shall be notified separately through newspapers.					
Executive Director (RA&PM) CSPDCL Raipur					